हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Bilaspur Bhoomi - 08 Sep 2025 - Page 1

निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति करने कहा

सीमांकन से जुड़े मामलों के लिए कमिश्नर की नियुक्ति जरूरी

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलासपुर

जमीन विवाद से जुड़े खासकर सीमांकन विवाद के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमांकन विवाद से जुड़े मामलों के लिए कमिश्नर की नियुक्ति जरुरी है। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को याचिकाकर्ता के जमीन के सीमांकन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इससे पहले सिविल कोर्ट ने दो भाइयों के मामले को निरस्त कर दिया था। सिविल जज के फैसले को चुनौती देते हुए दो नाबालिग भाइयों ने

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

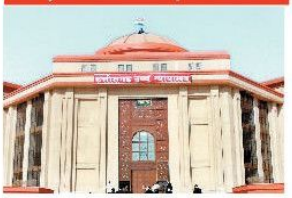

अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

बिलासपुर जिले के तखतपुर गनियारी के दो नाबालिग भाइयों लोकेश कुमार व हेमंत कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी संपत्ति के गांव के ही लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाने की शिकायत की जानकारी दी है। अतिक्रमणकारियों से अपने स्वामित्व की जमीन को मुक्त कराने और जमीन वापस दिलाने की गुहार नाबालिग भाइयों ने हाईकोर्ट से की है।

याचिकाकर्ता भाइयों ने अपनी याचिका में बताया है कि पिता ने 24 मार्च 2017 को खोरबाहरा साहू से दो लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। रजिस्टर्ड सेल डीड के बाद जमीन नामांतरण की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। राजस्व दस्तावेजों में भूमि स्वामी के रूप में उनके पिता का नाम दर्ज है। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को जमीन का स्वामित्व व कब्जा मिला।

बिना ठोस कारण बताए खारिज याचिका खारिज

याचिकाकर्ता भाइयों ने बताया कि उनके स्वामित्व वाली जमीन में गांव के गौतम प्रसाद, जनक राम, सुरेश साहू समेत अन्य ने जमीन के एक हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद अब मकान व आंगन का निर्माण शुरु कर दिया है। याचिकाकर्ता भाइयों ने अपनी याचिका में कहा है कि कब्जाधारियों से बेदखली की मांग करते हुए सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की मांग करते हुए निचली अदालत में आवेदन पेश किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी मांग को निचली अदालत ने बिना ठोस कारण बताए खारिज कर दिया है।

विवाद सीमांकन का तो आयुक्त की नियुक्ति जरूरी

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम शांति स्वरूप मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब विवाद जमीन के सीमांकन से जुड़ा हो तो आयुक्त की नियुक्ति जरूरी हो जाती है। निचली अदालत के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के जमीन के सीमांकन विवाद के निपटारा के लिए कमिश्नर की नियुक्ति करे।